

No. G-4(vi)/DJB/Dir.(A&P)/2018/07-CM/Unst. 212
DELHI JAL BOARD, GOVT. OF NCT OF DELHI
OFFICE OF THE DIRECTOR (ADMN. & PERSONNEL)
VARUNALAYA PHASE-II, KAROL BAGH, NEW DELHI – 110 005

Dated 17.03.2018

To

Shri Mahendra Gupta
Dy. Secretary, (Question Branch),
Delhi Vidhan Sabha Secretariat,
Old Secretariat, Delhi – 110054.

**Subject:- Vidhan Sabha Unstarred Question No. 212 due for
22.03.2018 asked by Shri Vijendra Gupta, MLA.**


Sir,

Kind attention is invited towards letter no. F. 11(B-I)VI/2015-20/VSS/Ques. Branch dated 12.03.2018 on the above quoted subject.

In this connection I am enclosing herewith the reply of the aforementioned Vidhan Sabha Question in so far as the Delhi Jal Board is concerned.

This issues with due approval of the Hon'ble Minister of Water, Govt. of NCT of Delhi.

Encl: As above.



(Paras Ram)

Jt. Director (Admn.)

Tel. No. 23544794(O)/Fax no. 23621738

Copy to:

1. Secretary to Minister of Water, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, I.P. Estate, New Delhi – 110002.
2. Secretary to CEO, Delhi Jal Board.
3. Member (A), Delhi Jal Board.
4. Director (A&P), Delhi Jal Board.
5. CNO (W)
6. Member (DR).
7. Dy. Director, Directorate of Information & Publicity, Block No. IX, Old Secretariat
8. Office Copy.


Jt. Director (Admn.)

पारस राम
PARAS RAM
संयुक्त निदेशक (प्रशा.)
Jt. Director (Admn.)
दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली सरकार
D.J.B., Govt. of NCT of Delhi

विभाग का नाम :- दिल्ली जल बोर्ड

विभाग का पता :- निदेशक (प्रशासनिक एवं कार्मिक)

वरुणालय फेज - 2, करोल बाग, नई दिल्ली

अतारांकित प्रश्न संख्या :- 212

दिनांक :- 22.03.2018

प्रश्नकर्ता का नाम :- श्री अखिलेशपति त्रिपाठी, विधायक

क्या मुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

अ.क्र.	प्रश्न	उत्तर
(क)	क्या यह सत्य है कि सर्वश्री विनार शिपिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने दिल्ली सरकार के दिल्ली जल बोर्ड से यमुना रिवर बैनर पर ड्रेनिंग और लिफ्टिंग का कार्यभार ले रखा है;	जी हाँ।
(ख)	यदि हाँ, तो क्या सरकार को जानकारी है कि इस कंपनी और कंपनी डायरेक्टर श्री ए०के० त्रिपाठी के खिलाफ कई राज्यों में फ़ॉण्ड के मुकदमे दर्ज हैं;	जी नहीं।
(ग)	क्या ऐसी जो ब्लैक लिस्टेड कम्पनीज है वह किसी सरकार में पूर्ववत काम कर सकती है;	कंपनी के ब्लैक लिस्टेड होने की कोई जानकारी दिल्ली जल बोर्ड को नहीं है।
(घ)	ऐसे फ़ॉण्ड एक्शन में आने पर क्या कंपनी का आगे का कार्य निरस्त किया जा सकता है;	ब्यौरा मिलने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
(ङ)	क्या सरकार ऐसी कम्पनी का भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर ऑडिट करवाने पर विचार कर रही है;	ड एवं च :- ऐसी कोई जानकारी दिल्ली जल बोर्ड के संज्ञान में नहीं है।
(च)	यदि हाँ, तो यह कार्रवाई कब तक की जायेगी?	

संयुक्त निदेशक (प्रशा.)

संयुक्त निदेशक (प्रशा.)
J. Director (Admn.)
दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली सरकार
D.J.B., Govt. of NCT of Delhi